न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 29/2019
निर्णय दिनांक– 14.08..2019

1.कोशल्यादेवी बेवा छीतर जाति कुमावत निवासी उनियारा हाल निवासी उंचा हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2.विष्णु कुमावत पुत्र छीतर जाति कुमावत निवासी उनियारा हाल निवासी उंचा हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3.चन्द्रप्रकाश पुत्र छीतर जाति कुमावत निवासी उनियारा हाल निवासी उंचा हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4.दिनेश पुत्र छीतर जाति कुमावत निवासी उनियारा हाल निवासी उंचा हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5.गोपी पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी उनयारा वार्ड न0 1 तहसील उनियारा जिला टोंक
6. शांति पुत्री लादू जाति कुमावत निवासी उनयारा वार्ड न0 1 तहसील उनियारा जिला टोंक
7.रामवतार पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी उनयारा हाल निवासी उंचा हनुमाननगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– 1.श्री आर0के0सैनी वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 179 ख0न0 81 रकबा 3.00 है0 एवं खाता संख्या 169 ख0न0 701 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जो उन्हे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयी है। जिसमे सह खातेदार रामप्यारी पत्नी लादू की मृत्यु हो चुकी है। जिसके भी वारिसान प्रार्थी ही है। प्रार्थीगण की जाति कुमावत है, जो कि उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह, बैंक बचत खाता व अन्य दस्तावेजात से प्रमाणित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दियों मे सहवन से प्रार्थीगण व व उनकी मृत माता रामप्यारी की जाति कुमावत के स्थान पर कुम्हार अंकित हो गई है।

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण व रामप्यारी पत्नी लादू की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत दर्ज करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण खातेदार की वास्तविक जाति कुमावत होना बताया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2073 खाता संख्या 179 आराजी ख0न0 81 रकबा 3.00 है0 वाके ग्राम उनियारा मे गोपी पुत्र लादू, छीतर पुत्र लादू व शांति पुत्री लादू की जाति कुम्हार अंकित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2073 खाता संख्या 176 आराजी ख0न0 701 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम उनियारा मे गोपी पुत्र लादू, छीतर पुत्र लादू , शांति पुत्री लादू , रामप्यारी पत्नी लादू, रामावतार पुत्र लादू की जाति कुम्हार अंकित है। तहसीलदार उनियारा ने प्रार्थीगण खातेदार की वास्तविक जाति कुमावत होना बताया गया।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 179 आराजी ख0न0 81 रकबा 3.00 है0 वाके ग्राम उनियारा मे गोपी पुत्र लादू, छीतर पुत्र लादू व शांति पुत्री लादू की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत व खाता संख्या 176 आराजी ख0न0 701 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम उनियारा मे गोपी पुत्र लादू, छीतर पुत्र लादू , शांति पुत्री लादू , रामप्यारी पत्नी लादू, रामावतार पुत्र लादू की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner